

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक-- पि०व०/ज०क०ठा०छा०/नि०प्र०सं०-38-02/2020(खण्ड-1)- 40, 31/20

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक-- 07/04/2026

विषय:-- वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों के संधारणार्थ कुल राशि रु० 1,64,16,000/- (रु० करोड़ चौंसठ लाख सोलह हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों के संधारणार्थ कुल राशि रु० 1,64,16,000/- (रु० करोड़ चौंसठ लाख सोलह हजार) मात्र संलग्न सूची के अनुसार आवंटित की जाती है।

2--कुल भारत व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026-27 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष 0002-छात्रावासों का संधारण, विषय शीर्ष, 13.01-कार्यालय व्यय, 13.03-दुरभाष, 13.04-विद्युत प्रभार, 21.01-सामग्री एवं पूर्तियां तथा 28.02-संविदा सेवाएँ विपत्र कोड सं०-11-2225-03-277-0002 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3--13.01-कार्यालय व्यय, 13.03-दुरभाष, 13.04-विद्युत प्रभार, 21.01-सामग्री एवं पूर्तियां तथा 28.02-संविदा सेवाएँ मद में आवंटित राशि का व्यय केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृत कार्यों के लिए ही किया जायेगा।

4-- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। निकासी की गई राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि व्यय होने के पश्चात् विभाग को भेजेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5-- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक व्यय दिनांक-31.03.2027 तक हो सके एवं व्यय की संभावना नहीं रहने पर शेष राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व विभाग को प्रत्यर्पित कर दिया जाय। जिस मद में राशि आवंटित की जा रही है, उसी मद में राशि का व्यय किया जाय। किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा एवं बैंक में संचित नहीं किया जायेगा।

6--प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहगति प्राप्त है।

7--प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8--इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दिया जा रहा है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वामाजन,

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-- पि०व०/ज०क०ठा०छा०/नि०प्र०सं०-38-02/2020(खण्ड-1)- 40, पटना, दिनांक-- 07/04/2026  
प्रतिलिपि--(1) महालेखाकार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/उप सचिव, (बजट प्रभारी)/अवर सचिव (बजट प्रशाखा)/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आईटीओमैनेजर, (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार

पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2026-27 में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के संचालन हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत आवंटित राशि की विवरणी :-

(राशि रू० में)

क्र०सं०	जिला	1301, कार्यालय व्यय	1303 दूरभाष	13 04 विद्युत प्रभार	2101 सामग्री एवं पूर्तियाँ	2802 संविदा सेवाएँ	कुल योग
1	अररिया	10000	2000	80000	100000	240000	432000
2	अरवल	10000	2000	80000	100000	240000	432000
3	औरंगाबाद	10000	2000	80000	100000	240000	432000
4	कटिहार	10000	2000	80000	100000	240000	432000
5	कैमूर	10000	2000	80000	100000	240000	432000
6	किशनगंज	10000	2000	80000	100000	240000	432000
7	गया	10000	2000	80000	100000	240000	432000
8	गोपालगंज	10000	2000	80000	100000	240000	432000
9	जमुई	10000	2000	80000	100000	240000	432000
10	जहानाबाद	10000	2000	80000	100000	240000	432000
11	नालंदा	10000	2000	80000	100000	240000	432000
12	पुर्णियाँ	10000	2000	80000	100000	240000	432000
13	पूर्वी चंपारण	10000	2000	80000	100000	240000	432000
14	पश्चिम चंपारण	10000	2000	80000	100000	240000	432000
15	बक्सर	10000	2000	80000	100000	240000	432000
16	बेगूसराय	10000	2000	80000	100000	240000	432000
17	बाँका	10000	2000	80000	100000	240000	432000
18	भागलपुर	10000	2000	80000	100000	240000	432000
19	मुंगेर	10000	2000	80000	100000	240000	432000
20	मधेपुरा	10000	2000	80000	100000	240000	432000
21	मधुबनी	10000	2000	80000	100000	240000	432000
22	शेखपुरा	10000	2000	80000	100000	240000	432000
23	सुपौल	10000	2000	80000	100000	240000	432000
24	सहरसा	10000	2000	80000	100000	240000	432000
25	सारण	10000	2000	80000	100000	240000	432000
26	सीतामढ़ी	10000	2000	80000	100000	240000	432000
27	रोहतास	10000	2000	80000	100000	240000	432000
28	मुजफ्फरपुर	10000	2000	80000	100000	240000	432000

(राशि रू० में)

क्र०सं०	जिला	1301, कार्यालय व्यय	1303 दूरभाष	13 04 विद्युत प्रभार	2101 सामग्री एवं पूर्तियाँ	2802 सविदा सेवाएँ	कुल योग
29	भोजपुर	10000	2000	80000	100000	240000	432000
30	पटना	10000	2000	80000	100000	240000	432000
31	नवादा	10000	2000	80000	100000	240000	432000
32	वैशाली	10000	2000	80000	100000	240000	432000
33	समस्तीपुर	10000	2000	80000	100000	240000	432000
34	लखीसराय	10000	2000	80000	100000	240000	432000
35	दरभंगा	10000	2000	80000	100000	240000	432000
36	शिवहर	10000	2000	80000	100000	240000	432000
37	सीवान	10000	2000	80000	100000	240000	432000
38	खगडियाँ	10000	2000	80000	100000	240000	432000
	कुल योग--	380000	76000	3040000	3800000	9120000	16416000

कुल राशि (रू० एक करोड़ चौंसठ लाख सोलह हजार) मात्र।

पत्रांक- 40, दिनांक-07/04/26 का अनुलग्नक।

सरकार के अपर सचिव।